Jai Maa Saraswati Gyandayini ISSN: 2454-8367
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer - reviewed, Open Accessed & Indexed)
Web: www.jmsjournals.in; Email: jmsjournals.in@gmail.com
Impact Factor : 4.032 (IIJIF)
Vol.4, Issue-IV, April 2019
e-ISJN: A4372-3118

बच्चो के मानवाधिकारः रिसोड विकासखंड, वाशिम जिल्हा के विशेष संदर्भ में

डॉ. प्रमोदकुमार नंदेश्वर
श्री बाबासाहेब धाबेकर कला व वाणिज्य महाविद्यालय, रिसोड

संक्षिप्त रूप –

अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ होती है, जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरुप को प्राप्त नही कर सकता है। संपूर्ण मानव जाती आज शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि से त्रस्त है। मानवाधिकारों के उल्लंघन का सब से बड़ा शिकार 'बालक' है। मनुष्य जाती के लिये यह केवल एक समस्या ही नही बल्कि बड़ा खतरा भी है। बच्चो को मानवी हको से वंचित करने वाले घटको मे गरीबी, अशिक्षा, अभाव ग्रस्त जीवन, समाजव्यवस्था आते है। बालको के अधिकार के सबंध मे 1924 मे जिनेवा सम्मेलन मे घोषणा की गई की, इसके अनुसार बालको के जीवन संरक्षण एवं देखभाल के संबंध में प्रावधान किए गऐ। संशोधन के अनुसार बालश्रम अधिक प्रमाण मे रिसोड विकास खंड पर किया जाता है। लागो को बालश्रम कानुन और भारतीय संविधान में बालश्रम विरोधी अनुच्छेद के संबंध मे ज्ञान न होने के कारण व्यापक प्रमाण मे ग्रामीण क्षेत्रो में बालश्रमिक दिखाई देते है। कानुन द्वारा इस अमानवीय कार्यपर रोग लगाई गई है। कानून के माध्यम से इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है।

शब्द कुंजीः– मानवाधिकार, बालश्रमिक, बालको के अधिकार, बालश्रम।

प्रस्तावना :–

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज मे रहकर वह अपने व्यक्तियों का विकास करना चाहता है, जो तभी संभव है जब व्यक्ति को अपनी अत्नर्निहीत शक्तियों के प्रस्फुटन का समुचित अवसर मिले। इसके अभाव मे उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है जिससे उसका बहुमुखी विकास नही हो पाता। प्रकृति से प्राप्त क्षमताऐं अविकसित रह जाती है और उसका जीवन व्यर्थ सा हो जाता है। प्रसिद्व दार्शनिक ग्रीन ने यह इसलिए कहा की, मानवी चेतना अपनी विकास हेतु स्वतंत्रता चाहती है[1], स्वतंत्रता यह अधिकारों मे निहित है और अधिकार राज्य की माँग करते है। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है की राज्य का अस्तित्व ही नागरीकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। इस तरह अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियाँ होती है, जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरुप को प्राप्त नही कर सकता है। गत कुठ वर्षो मे मानवाधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है उतना शायद पहले कभी नही हुआ। संपूर्ण मानव जाती आज शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि से त्रस्त है। मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे बड़ा शिकार 'बालक' है। हमारे देश मे कई बालक सुविधा और साधनों से वंचीत जीवनयापन ही नही कर रहे बल्कि मानवीय हको से वंचित हो असहाय जीवन जीते, कच्ची उम्र मे पीसे जाते है। बड़े होकर भी जीवन की

[1] कौशीक आशा, मानवाधिकार और राज्य बदलते संदर्भ, उभरते आयाम, अविष्कार पब्लीशर जयपुर, 2011, पृ 37।

सार्थकता खो देते है। जब यह मासूम बच्चे भूख से बिल–बिलाते है, कंधो पर फटे पुराने चिथड़ों का थैला लेकर दरदर भटक रहे होते है। लावारिस बच्चे सड़कों पर सोए नजर आते है। भारी बोझा लादे या नाजुक हाथो से पत्थर फोड़ते हुए देखे जाते है तो मन काँप सा जाता है। बालकों को मानवी हक्क प्रदान कर व्यक्ति का, देश का, क्रमशः विश्व का कल्याण करें। मानवी हक से वंचित बालको की समस्या केवल हमारे देश तक ही सीमित नही अपितु यह विश्वव्यापी समस्या है। सारे संसार मे कितने ही बच्चे अनाथ है, कितने ही बच्चे बाल मजदूर है, कितने पाशवी यैन शोषण के शिकार है। कितने ही बच्चे बेरोजगार रुपी निराशा के गर्त मे भटक रहे है। मनुष्य जाती के लिये यह केवल एक समस्या ही नही बल्कि बड़ा खतरा भी है। सत्यता यह है की बच्चे ही देश के कर्णधार, देश के भविष्य, देश की सुरक्षा, देश की शक्ती एवं देश के भाग्यविधाता होते है। ऐसे बालकों को मानवीय हको से वंचित रखना क्या अपनी ही विडंबना नही है। बच्चो को मानवी हको से वंचित करने वाले घटको में गरीबी, अशिक्षा, अभाव ग्रस्त जीवन व समाजव्यवस्था आते है।[2] इन सभी घटको का अध्ययनकर बालक एवं मानवी हक इस विषय का अध्ययन करना शोधलेख का उद्देश्य है।

संशोधन का उद्देश्यः–

इस संशोधन पत्र का उद्देश निम्ननुसार है.

1 बालको कें मानवी अधिकार के स्वरुप का अध्ययन करना।

2 भारतीय संविधान मे अंतर्गत बालकों के मानवाधिकार का अध्ययन करना।

3 बालको और उनके अभिभावको में मानवाधिकार प्रती चेतना का अध्ययन करना।

संशोधन पद्धतीः–

प्रस्तुत शोध निबंध यह प्राथमिक एवं द्वितीय तथ्यों के स्त्रोत पर आधारित है। इस संशोधन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीय साधन सामग्री का उपयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलन के लिए संरचीत अनुसूची एवं प्रश्नावली का उपयोग किया गया है। द्वितीय साधनो में संदर्भ ग्रंथ, मासिक, साप्ताहीक, वर्तमान पत्रे, युनो एवंम भारत सरकार की विभीन्न मानवाधिकार विषयक संम्मेलनो का अहवाल इ. का उपयोग किया गया है।

संशोधन क्षेत्रः–

वाशिम जिला महाराष्ट्र के विदर्भ में है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले में 5150 वर्ग किमी का भौगोलिक क्षेत्र है। इसकी आबादी 1297160 है। इसमें से क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति–जनजाति की आबादी 229462 और 80471 है। इस जिले के लोगों के लोगों का घनत्व 244 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। वाशिम जिले के लिंग अनुपात में 1000 पुरुषों के मुकाबले 930 महिलांए है। लोगो की साक्षरता 83.25% है। जिले के अधिकांश लोग मराठी बोलते है। उसके बाद हिंदी और अन्य भाषाएँ बोली जाती है। वाशिम जिले की जलवायु में गर्मी के मौसम में गर्मी और उच्च आर्द्रता और सर्दियों के मौसम में शुष्क स्थिती रहती है। अधिकांश आबादी कृषि क्षेत्रो मे काम करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या में से 17.7% लोग शहरी क्षेत्रों मे रहते है

[2] मिश्रा दामोधर, शुक्ला अखील, मानवाधिकार दशा और दिशा, पॉईंटर पब्लीशर, जयपूर, 2004, पृ.54।

जबकी 82.3% ग्रामीण क्षेत्रो मे रहते है। शहरी क्षेत्रों में आसत साक्षरता दर का लिंग अनुपात 947, जबकी ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 926 है।[3]

वाशिम जिले के रिसोड तालुका मे जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबादी 207,545 है। इनमें से 107,933 पुरुष, जबकी 99,612 महिलाएँ है। 2011 में रिसोड तालुका में कुल जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में से, शहरी क्षेत्रों में 16.4: लोग रहते है। जबकी 83.6% ग्रामीण क्षेत्रो में रहते है। शहरी क्षेत्रो में औसत साक्षरता दर 43% है जबकी ग्रामीण क्षेत्रों में यह 0.9% है। इसके अलावा रिसोड तालुका में शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात 934 है जबकी ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 921 है।[4]

बालको कें अधिकार :–

बालकों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1959 को जाहीरनामा प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य विश्व के सभी नागरीकों को विकास के अवसर प्राप्त करना एवं उनको सुखी संपन्न जीवन उपलब्ध करना यह था। मानवी हक घोषणापत्र के अनुसार सभी मानवो को अच्छा जीवन जीने के लिए मानव अधिकार एवं स्वातंत्रता मिलना अनिवार्य है। इसके प्राप्त हेतु जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राजकीय मतप्रणाली, सामाजिक, राजकीय आर्थीक एवं राष्ट्रीय भिन्नता इसका विचार नही किया जाना चाहीए। बालको के अधिकार के सबंध मे 1924 मे जिनेवा सम्मेलन मे घोषणा की गई की, इसके अनुसार बालको के जीवन संरक्षण एवं देखभाल संबंध प्रावधान किए गऐ। बालको के विकास हेतु घोषणापत्र के अनुसार प्रत्येक बालक को बेहतर भविष्य प्रधान करे.। दुनिया के बालक निर्दोश, दुर्बल और निर्भर है। वे जिज्ञासु सक्रीय और आशाओ से भरे हुऐ है। इनका जीवन हसी, खुशी और शांती का होना चाहीए। खेल, शिक्षा आदि पाकर विकसित होना चाहीए। उनके भविष्य कों समरसता और सहकारता मे ढाला जाना चाहीए। परंतु बहुत से बालक विभिन्न समस्याओ का सामना करते है। उनको सहायता करना अनिवार्य है। घोषणापत्र के अनुसार 10 बिंदु कार्यक्रम निश्चित किया गया[5]. यह निम्ननुसार है–

1. बालक के अधिकार प्राप्ती हेतु विश्वव्यापी जनजागृती कार्यक्रम।
2. बालको के स्वाथ्य एवं स्वच्छता को बढ़ाने के लिऐ ठोस राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास।
3. बालको के वैयक्तिक विकास हेतु प्रयास।
4. जन्मप्रांत बालको के संवर्धन हेतु सभी प्रकार के अधिकार।
5. बालक के पालन पोषण मे परिवार की भुमिका सुनिश्चित।
6. निरक्षरता को कम करने और सभी बालको के लिए शिक्षा के अवसर निर्माण करने हेतु विशेष कार्यक्रम।
7. सशस्त्र संघर्ष के दौरान बालको के संरक्षण के लिऐ प्रयास।
8. कठिन परिस्थितयों मे रहने वाले बालको की दुर्दशा को सुधारने के लिए कार्यक्रम।
9. विश्वस्तरपर गरीबी को दुर करने के लिए कार्यक्रम।

[3] https://www.census2011.co.in>district
[4] वही।
[5] प्रसाद गोविंद, महिला एवं बालश्रमिक सामाजिक समस्या, डिस्कवरी पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली., 2009 पृ 78।

10. पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए कार्यक्रम।

संविधानिक प्रावधान :–

1 संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 15 के अंतर्गत मुल्याधिकारो में यह कहा गया है की, बालको के कल्याण के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनमे कोई विभेद न करते हुऐ सबको समान रुप से सुविधाऍं दी जायेगी ।

2 अनुच्छेद 24 में कहा गया है की, 14 वर्ष से कम आयु या कोई भी बालक किसी भी कंपनी में संकट के स्थानो पर जोखीम का काम नही करेगा।[6]

3 संविधान अनुच्छेद 39 कें चौथे भाग में नीती निर्देशक तत्वो के अंतर्गत कहा गया है की, राज्य अपने क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिको कें स्वास्थ की और विशेष ध्यान देगा।

4 अनुच्छेद 45 अंतर्गत कहा गया है की, बालकों को 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार द्वारा दि जायेगी।

5 अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है की, राज्य व्यक्तियो के जीवन स्तर को ऊॅचा उठाने का प्रयास करेगा तथा लोगों के स्वाथ्य मे उन्नती करना राज्य का मुख्य कार्य है।

तथ्यों का विश्लेषण :– इस संशोधन के लिए संशोधन क्षेत्र रिसोड विकास खंड से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण निम्ननुसार है।

सारणी 1

बच्चों के मानवाधिकार संबंधी जानकारी

अक्र	बच्चों के मानवाधिकार संबंधी जानकारी	वारंवारता	प्रतिशत
1	अवगत है.	18	18
2	अवगत नही है	82	82
	एकुन	100	100

उत्तरदाताओ कों बच्चों के मानवाधिकार संबंधी प्रश्न पुछे गऐ। बच्चों के मानवाधिकार संबंधी जानकारी है क्या ? यह प्रश्न 100 उत्तरदाताओ को पुछा गया। इसमे से 82 उत्तरदाताओं का उत्तर नकारात्मक था। मगर 18 उत्तरदाताओं को बच्चों के मानवाधिकार सबंधी जानकारी थी। इससे यह प्रतीत होता है की, इस संशोधन क्षेत्र मे बच्चों के मानवाधिकार सबंधी 82% लोक अवगत नही है, सिर्फ 18% लोगों को बच्चों के मानवाधिकार सबंधी जानकारी है। इसलिए इस संशोधन क्षेत्र में बच्चों के मानवाधिकार संबंधी जनजागृती करना अनिवार्य है। इसके प्रचार से बालको पर होने वाले अत्याचार पर प्रतिबंध लगेगा।

सारणी 2

घरेलु काम या व्यवसायीक काम संबंधी जानकारी

क्र.	घरेलु काम या व्यवसायीक काम संबंधी जानकारी	वारंवारता	प्रतिशत
1	घरेलु काम या व्यवसायीक काम करते है.	60	60
2	घरेलु काम या व्यवसायीक काम नही करते	40	40
	एकुन	100	100

[6] त्रिपाठी प्रदीप, मानवाधिकार और भारतीय संविधान, राधा पब्लीकेशन, नई दिल्ली, 2012 पृ 87।

बालक घरेलु काम या व्यवसायिक काम पर होने के सबंध मे उत्तरदाताओ से प्रश्न पुछे गऐ। इस प्रश्न के उत्तर मे 60% उत्तरदाताओं ने बालक घरेलु काम या व्यावसायीक काम मे लगे होने के प्रमाण दिऐ है। 40% उत्तरदाताओं ने बालश्रम को विरोध किया है। 60% उत्तरदाताओं ने बालश्रमिक उनके घर या व्यावसायिक ठिकाने पर न होने की बात स्वीकार की है। इससे यह प्रतीत होता है की संशोधन क्षेत्र के लोग घरेलु कार्य, व्यावसायिक प्रतिष्ठानो पर बालश्रमिक रखते है। उपरोक्त सारणी के अनुसार बालश्रम अधिक प्रमाण मे रिसोड विकास खंड पर किया जाता है। लागो को बालश्रम कानून और भारतीय संविधान में बालश्रम विरोधी अनुच्छेद के संबंध मे ज्ञान न होने के कारण व्यापक प्रमाण मे ग्रामीण क्षेत्रो में बालश्रमिक दिखाई देते है। बालक अभिभावक ही उन्हे घरेलु श्रम या व्यावसायिक श्रम मे लगाते है। गरीबी कानुन का अज्ञान अशिक्षा के कारण वह यह सब कार्य करते है। इसके प्रतिबंध के लिए व्यापक जनजागृती प्रशिक्षण और शिक्षा की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :–

बालक के समस्त सामाजिक, आर्थीक, राजनीतीक दृष्टीकोण पर विचार करने के पश्चात बालक के गहन समस्या का मानवीय पक्ष पर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। बालक समस्या के प्रति हमारा राष्ट्र जड़ता की स्थिति मे है। इसलिए नही की प्रशासन कई रुपो में बहुत से अन्यायपूर्ण गंभीर अपराध और भष्टाचार करता है बल्कि इसलिए की, प्रत्येक बालक आश्रित होकर प्रतिदिन बंधुआश्रम के मानसिक आघात को चुपचाप सहन करता है। संशोधन क्षेत्र के लोग घरेलु कार्य, व्यावसायिक प्रतिष्ठानो पर बालश्रमिक रखते है। संशोधन के अनुसार बालश्रम अधिक प्रमाण मे रिसोड विकास खंड पर किया जाता है। लोगो को बालश्रम कानून और भारतीय संविधान में बालश्रम विरोधी अनुच्छेद के संबंध मे ज्ञान न होने के कारण व्यापक प्रमाण मे ग्रामीण क्षेत्रो में बालश्रमिक दिखाई देते है। कानुन द्वारा इस अमानविय कार्यपर रोग लगाई गई है। कानुन के माध्यम से इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह अपराधिक बुराई भारत में दिखाई देती है। विभिन्न उद्योगो में बालश्रमिक दिखाई देते है। बालश्रम की समस्या के समाधान हेतु न्याय प्रशासन के उन्नति के कार्य मे लगे न्यायधीशों की अपीहार्य भूमिका अन्य विचार धाराओं के साथ नही मिलाया जा सकता। एक जागृत एवं विवेकशील व्यक्ति अथवा न्यायिक अधिकारी बालको के प्रति होने वाली इस बर्बरता मूख दर्शक नही बन सकता। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी यह अधिकारता प्रदान की जानी चाहिए जहॉ से वे भी बंधुआ मजदुर बालश्रम के मानवी शोषण के बारेमे सुचना प्राप्त होती है। वे उस क्षेत्र में अधिकार पूर्वक कार्यवाही करने के लिए, किसी व्यक्ति या संघटन को भेज सके। जहाँ बालश्रम कानून की खुले रुप में अवहेलना होती है, वहॉ कार्य करने का अधिकार उन्हे मिलना चाहिए। बालश्रम से मुक्त कराऐ गऐ बालको की शिक्षा और पुर्नवास संबंधी योजनाओं के लिए इस बात की अति आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 39–क की स्वकृति देश मे निःशुल्क विधिक सहायता आंदोलन को बालश्रम के क्षेत्र में प्रवेश करने की जोखिम उठाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. कौशीक आशा, मानवाधिकार और राज्य बदलते संदर्भ, उभरते आयाम, अविस्कार पब्लीसर जयपुर, 2011, पृ. 37।
2 मिश्रा दामोधर, शुक्ला अखील, मानवाधिकार दशा और दिशा, पॉईंटर पब्लीसर, जयपुर, 2004, पृ. 54।
3 प्रसाद गोविंद, महीला एवंम बालश्रमीक सामाजिक समस्या, डिस्कवरी पब्लीसिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2009 पृ. 78।
4 त्रिपाठी प्रदीप, मानवाधिकार और भारतीय संविधान, राधा पब्लीकेशन, नई दिल्ली, 2012 पृ. 87।